



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082022-237892
CG-DL-E-04082022-237892

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3477]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 3, 2022/श्रावण 12, 1944

No. 3477]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 3, 2022/SHRAVANA 12, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2022

का. आ. 3643(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3512 (अ), दिनांक 23 नवंबर, 2016 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः-

उक्त अधिसूचना की तालिका में, निम्नलिखित प्रविष्टियों के लिए कॉलम संख्या क्रमशः (1), (2) और (3) के तहत:-

रारा-206 (नया रारा-69 और 73)	तुमकुर-शिमोगा खंड (कर्नाटक राज्य में)	किमी. 0.000 – किमी. 205.00
------------------------------	--	----------------------------

कॉलम संख्या क्रमशः (1), (2) और (3) के तहत निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

रारा-206 (नया रारा-69 और 73)	तुमकुर-शिमोगा खंड (कर्नाटक राज्य में)	किमी. 0.000 – किमी. 216.500
------------------------------	--	-----------------------------

टिप्पण:- मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 3512(अ), दिनांक 23 नवंबर, 2016 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी।

[फा. सं. एनएच-14013/2/2022-एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2022

S. O. 3643(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3512(E), dated the 23rd November, 2016, namely:-

In the Table to the said notification, for the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively:-

NH-206 (New NH-69 & 73)	Tumkur-Shimoga Section (In the State of Karnataka)	Km. 0.000 - Km. 205.00
-------------------------	---	------------------------

The following entries under columns number (1), (2) and (3) respectively, shall be substituted:-

NH-206 (New NH-69 & 73)	Tumkur-Shimoga Section (In the State of Karnataka)	Km. 0.000 - Km. 216.500
-------------------------	---	-------------------------

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 3512(E), dated the 23rd November, 2016.

[F. No. NH-14013/2/2022-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2022

का. आ. 3644(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 11 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“11	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 [किमी. 0.0 से किमी. 592.0 (बंगलौर से कर्नाटक/महाराष्ट्र सीमा) और किमी. 216.914 से किमी. 318.000 (बंगलौर-हौसकोटे-कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4ए, [किमी. 9.500 से किमी. 84.120 (बेलगाम-गोवा/कर्नाटक सीमा) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 [किमी. 348.800 से किमी. 423.800 (महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 13 [(किमी. 30.340 से किमी. 418.750 (शोलापुर-बीजापुर-हुंगुंड-हौजपेट चित्रदुर्ग खंड) और किमी 743.900 से किमी. 745.000 (मरोली जंक्शन से नंथूर जंक्शन) और किमी. 698.850 से किमी. 743.900 (सन्नुर जंक्शन से बिरनाकट्टे खंड) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 [(किमी. 3.700 से किमी. 17.200 और किमी. 93.700 से किमी. 376.700 (गोवा/कर्नाटक सीमा-कुंदरपुर-सूरतखल-नंथूर-मंगलौर-कर्नाटक/केरल सीमा) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 42, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 [(किमी. 28.200 से किमी. 237.000 (राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर नीलमंगला जंक्शन से देवीहल्ली से मारनहल्ली) और किमी. 263.000 से किमी 345.000 तक खंड को छोड़कर] (अड्डाहोल से गुंडया से बंतवाल क्रास खंड), राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 63 [(किमी. 129.249 से किमी. 267.00 (हुबली-होसपेट खंड) तक खंड को छोड़कर और किमी. 280.300 से किमी. 375.740 (हौजपेट-बेल्लारी-कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा खंड) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 67,	कर्नाटक राज्य सरकार।”
-----	---	-----------------------

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 206 [(किमी. 0.00 से किमी. 216.500 (तुमकुर – शिमोगा खंड) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 207 [(किमी. 16.80 से किमी. 139.180 (बंगलौर/तमिलनाडु सीमा-हौजकोटे- दोबासपेट खंड) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 209 [(किमी. 266.530 से किमी. 461.550 तक को छोड़कर] (तमिलनाडु/कर्नाटक सीमा से बंगलौर खंड तक)], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 212 [(किमी. 136.600 से किमी. 239.600 और किमी. 241.520 से किमी. 268.475 (केरल सीमा से कोल्लेगल खंड) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 218 [(किमी. 195.000 से किमी. 418.000 (बीजापुर – गुलबर्गा - होमनाबाद खंड) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 234, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 50 (आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा-बीदर-होमनाबाद खंड), नई रारा सं. 67, नई रारा सं. 150, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 150 विस्तार, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 150ए [(किमी. 0.00 से किमी. 50.00 (जेवारगी – शाहापयुर खंड) तक खंड को छोड़कर] और [(किमी. 254.80 से किमी. 409.00 (बेल्लारी – हिरियुर खंड) तक खंड को छोड़कर], नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 150सी, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 160, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 166ई, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 167एन, नई रारा सं. 167, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 169ए, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 173, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 275 [(किमी. 166.602 से किमी. 255.600 (मैसूर-मादाकेरी खंड) और [(किमी. 223.86 से किमी. 342.00 (बंगलौर – मैसूर खंड) तक खंड को छोड़कर], नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 275के, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 367, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 369ई, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 373, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 544डीडी, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 544ई, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 548बी, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 548एच, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 561ए, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 748एए, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 752के, नई रारा सं. 766सी, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 766ई और नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 766ईई के उतने भाग जो कि कर्नाटक राज्य में अवस्थित हैं।	
---	--

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का. आ.1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का. आ. 3274(अ), तारीख 21 जुलाई, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14013/2/2022-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2022

S. O. 3644(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S. O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 11 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)
11	So much of National Highway No.4 [excluding from Km. 0.0 to Km. 592.0 (Bangalore to Karnataka /Maharashtra Border) and from Km. 216.914 to Km.318.000 (Bangalore Hoskote-Karnataka/Andhra Pradesh Border)], National Highway No.4A [excluding from Km. 9.500 to Km.84.120 (from Belgaum- Goa/Karnataka Border)], National Highway No.9 [excluding from Km. 348.800 to Km. 423.800 (Maharashtra/Karnataka Border), National Highway No.13 [excluding from Km. 30.340 to Km. 418.750 (Solapur-Bijapur-HungundHospet Chitradurga section) and from Km. 743.900 to Km.745.000 (Maroli Junction to Nanthoor Junction) and from Km. 698.850 to Km. 743.900 (Sannur junction to Bikarnakatte Section)], National Highway No.17 [excluding from Km. 3.700 to Km. 17.200 and Km. 93.700 to Km. 376.700 (Goa/Karnataka Border-Kundarpur- SurathkalNanthoor- Mangalor- Karnataka/Kerala Border)],	State Government of Karnataka.

National Highway No.42, National Highway No.48 [excluding from Km. 28.200 to Km. 237.000 (Nelamangala Junction on National Highway 4 with National Highway 48 to Devihalli to Maranahalli) and from 263.000 to Km. 345.000](Addahole to Gundya to Bantwal Cross Section), National Highway No.63 [excluding from km 129.249 to km 267.00 (Hubli-Hospet Section) and excluding from Km. 280.300 to Km. 375.740 (Hospet- Bellary-Karnataka/Andhra Pradesh Border section)], National Highway No.67, National Highway No.206 [excluding from Km. 0.00 to Km. 216.50 (Tumkur- Simoga Section)] National Highway No.207 [excluding Km.16.80 to Km. 139.180 (Bangalore/Tamilnadu Border-Hoskote-Dobbaspet Section)], National Highway No.209 [Excluding from Km 266.530 to Km. 461.550] (Tamil Nadu/Karnataka Border to Bangalore Section), National Highway No.212 [excluding from Km. 136.600 to Km. 239.600 and from Km. 241.520 to Km. 268.475 (Kerala Border to Kollegal Section)], National Highway No.218 [excluding from Km. 195.000 to Km. 418.000 (Bijapur Gulbarga- Homnabad section)], National Highway No. 234, new National Highway No. 50 (Andhra Pradesh/Karnataka Border-Bidar-Homnabad section), new National Highway No. 67, new National Highway No.150, new National Highway No. 150 Extn, new National Highway No. 150A [excluding Km. 0.00 to Km. 50.00 (Jevargi- Shahapayur Section)] and [excluding from Km. 254.80 to Km. 409.00 (Bellary- Hiriya section)], new National Highway No. 150C, new National Highway No. 160, new National Highway No. 166E, new National Highway No. 167N, new National Highway No. 167, new National Highway No. 169A, new National Highway No. 173, new National Highway No. 275 [excluding from Km. 166.602 to Km. 255.600 (Mysore-Madakeri Section) and [excluding from Km. 223.86 to Km. 342.00 (Bangalore-Mysore Section)], new National Highway No. 275K, new National Highway No. 367, new National Highway No. 369E, new National Highway No. 373, new National Highway No. 544DD, new National Highway No. 544E, new National Highway No. 548B, new National Highway No. 548H, new National Highway No. 561A, new National Highway No. 748AA, new National Highway No. 752K new National Highway No. 766C, new National Highway No. 766E and new National Highway No. 766EE, as are situated within the State of Karnataka.	
--	--

Note: -The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 3274(E), dated the 21st July, 2022.

[F. No. NH-14013/2/2022-P&M]

RAJESH GUPTA, Director